कीमत-स्तर परिवर्तन का अर्थ
(Meaning of Price Level Changes)

मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य कीमत-स्तर इन दोनों में विपरीत सम्बन्ध होता है। सामान्य कीमत में वृद्धि होने पर मुद्रा की क्रय-शाक्ति (फलस्वरुप उसका मूल्य) कम हो जाता है। सामान्य कीमत में कमी होने पर मुद्रा की क्रय-शक्ति (मूल्य) बढ़ जाती है। कीमत-स्तर में वृद्धि को मुद्रा-स्फीति (Inflation) व कीमत-स्तर में कमी को मुद्रा-विस्फीति (Deflation) कहते हैं। कीमत-स्तर में इन परिवर्तनों का लेखा विवरणों पर दूषित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन विवरणों में लाभ, हानि, सम्पत्ति, दायित्व, आदि को दर्शाने का एकमात्र मापदण्ड मुद्रा ही है, जो कीमत-स्तर में परिवर्तन से स्वय परिवर्तित हो जाती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण ऐतिहासिक लागत पर तैयार किये

Scanned with CamScanner

गये वित्तीय विवरण संस्था की सही वित्तीय स्थिति व सही लाभ (हानि) का चित्रण नहीं कर पाते हैं।

वित्तीय विवरणों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव
(Effect of Inflation on Financial Statements)

बढ़ती हुई कीमत-स्तर (अर्थात् मुद्रा की इकाई की गिरती हुई क्रय-शक्ति) का लाभ-हानि खाता (आय-विवरण) व चिट्ठा दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों के कुछ रुप इस प्रकार हैं :

(1) **लाभ का वास्तविकता से अधिक दर्शाना**–लाभ-हानि खाते में वसूल किये गये खर्चों में से एक महत्वपूर्ण मद ह्रास का होता है। ह्रास की रकम कम या अधिक होने से संचालनात्मक लाभ कम या अधिक हो जाता है। चूंकि ह्रास की गणना ऐतिहासिक लागत पर ही की जाती है और ऐतिहासिक लागत मुद्रा-स्फीति की स्थिति में वर्तमान मूल्य से कम ही होती है, अत: लाभ-हानि खाते में वसूल किया गया ह्रास भी वास्तविकता से कम ही होता है और उस सीमा तक लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ की रकम बढ़ी हुई होती है।

(2) **सम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य अवास्तविक होना**–सामान्यत: यह धारणा है कि चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति (शक्ति) को सही व वास्तविक रुप में प्रदर्शित करता है। परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। चूंकि चिट्ठे में सम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से ह्रास घटाकर दिखाया जाता है और यह मूल्य वर्तमान चालू मूल्य या वसूली मूल्य से कम ही होता है, अत: चिट्ठे में प्रदर्शित सम्पत्तियाँ कभी भी वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, 2016 में 20,000 ₹ की भूमि क्रय की गयी थी। 2017 के चिट्ठे में भी इसे 20,000 ₹ पर दिखाया गया होगा, जबकि 2018 में इस भूमि का मूल्य 2,00,000 ₹ हो गया होगा। इस प्रकार चिट्ठा संस्था की सही स्थिति को दर्शाने में असफल ही रहता है।

(3) **सम्पत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध फण्ड की अपर्याप्तता**–परम्परागत लेखांकन के अन्तर्गत ह्रास की गणना सम्पत्ति की ऐतिहासिक लागत को सम्पत्ति के आर्थिक जीवन के वर्षों की संख्या में भाग देकर की जाती है। उद्देश्य यही होता है कि सम्पत्ति की जीवन समाप्ति पर ह्रास के रुप में उतनी ही रकम संचित हो जाय जितने में उस सम्पत्ति को खरीदा गया था ताकि उस संचित रकम से पुरानी की जगह नयी सम्पत्ति अधिग्रहित कर ली जाय। परन्तु मुद्रा-स्फीति की स्थिति में पुनर्स्थापित होने वाली सम्पत्ति की लागत इतनी अधिक हो जाती है कि ह्रास के रुप में संचित रकम पुनर्स्थापन के लिए अपर्याप्त होती है। उदाहरण के लिए, 1,00,000 ₹ की लागत से 1 जनवरी, 2016 को एक मशीन खरीदी गयी। इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष है और प्रत्येक वर्ष 10,000 ₹ ह्रास के काटे गये। 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् कीमत-स्तर में 40% की वृद्धि हो गयी। 10 वर्ष के बाद ह्रास की संचित रकप 1,00,000 ₹ होगी परन्तु पुनर्स्थापन के लिए 1,00,000 + 40% अर्थात् 1,40,000 ₹ आवश्यक होगी। इस प्रकार 40,000 ₹ की कमी होगी।

(4) **पूँजी का कटाव–पूँजी यथावत् नहीं रहती है**–चूंकि मुद्रा-स्फीति की दशा में वास्तविक लाभ प्रदर्शित लाभ से कम होता है, अत: जो कुछ भी लाभांश के रुप में वितरित किया जाता है, वह ऐसे लाभ में से दिया गया होता है, जो अर्जित नहीं किया गया होता है। इस प्रकार का लाभांश वितरण वस्तुत: लाभ में से न होकर पूँजी में से होता है। इस प्रकार पूँजी का कटाव होने लगता है और पूँजी यथावत् (intact) नहीं रहती है।

Scanned with CamScanner

(5) **स्कन्ध का मूल्यांकन अशुद्ध हो जाता है**–लेखांकन की परम्परागत पद्धति के अन्तर्गत स्कन्ध का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य (दोनों में जो कम हो) पर किया जाता है यदि वर्ष के दौरान व्यवसाय द्वारा क्रय की गई व बेची गई वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो लाभ की रकम बढ़ी हुई होगी, यदि इस कीमत वृद्धि को स्कन्ध मूल्यांकन में समायोजित न कर दिया जाय।

वित्तीय विवरण में अशुद्धता के लिए उत्तरदायी कारक
(Factors Resporsible For Distortion In Financial Statements)
अथवा
कीमत-स्तर लेखांकन के अभ्युदय के कारण
(Reasons For the Emergence of Price-Level Accounting)

मुद्रा-स्फीति की स्थिति में वित्तीय विवरणों द्वारा जो अवास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। चूंकि इसी अवास्तविकता को दूर करने के लिए कीमत-स्तर लेखांकन की जरूरत पड़ती है, अत: इन्हीं कारकों के फलस्वरुप कीमत-स्तर लेखांकन का अभ्युदय हुआ है :

(1) स्थायी सम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाने से कीमत-स्तर में परिवर्तन के दौरान वित्तीय विवरण द्वारा अशुद्ध चित्र प्रस्तुत करना।

(2) कीमत में वृद्धि के समय स्कन्ध का अति-मूल्यांकन व ह्रास की कम रकम चार्ज करने के कारण अवास्तविक, काल्पनिक व बढ़े हुए लाभ का प्रदर्शन।

(3) वास्तविक लाभ के आधार पर देय लाभांश व कर से अधिक लाभांश व कर का भुगतान होने से पूँजी का कटान।

(4) मुद्रा-स्फीति के समय में स्थायी सम्पत्तियों के पुनर्स्थापन में फण्ड के अभाव के कारण कठिनाइयाँ।

(5) कीमत-स्तर में वृद्धि के कारण कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता।

(6) मौद्रिक चल सम्पत्तियों जैसे, रोकड़ व देनदार को रखने से हानियाँ व चल दायित्वों जैसे, लेनदार से प्राप्तियाँ।

मूल्य-स्तर के परिवर्तन की लेखा-विधि
(Accounting for Price Level Changes)
अथवा
मुद्रा-स्फीति लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Inflation Accounting)
अथवा
कीमत-स्तर लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Price Level Changes Accounting)

कीमत-स्तर में परिवर्तन के लिए विभिन्न लेखांकन मदों में समायोजन हेतु अपनायी गयी सम्पूर्ण लेखांकन कार्यविधियों को कीमत-स्तर लेखांकन कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में कीमत-स्तर लेखांकन वह लेखांकन तकनीक है, जिसके द्वारा लेन-देनों को चालू मूल्य पर अभिलेखित किया जाता है और लेखांकन मदों पर कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को तटस्थ (प्रभावहीन/उदासीन) कर दिया जाता है या ऐतिहासिक लागत पर अभिलेखित लेन-देनों के साथ-साथ ऐसे प्रभावों को भी स्पष्ट किया जाता है। कुछ विद्वानों ने कीमत-स्तर लेखांकन को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया है—

(1) "पुनर्मूल्यांकन लेखांकन से तात्पर्य उन नीतियों से होता है जिनका प्रयोग बढ़े हुए मूल्यों की अवधि में स्थायी सम्पत्तियों के पुनर्स्थापन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में किया जाता है।" —जे. बैटी

(2) "स्थिर लेखांकन निर्देशांकों के माध्यम से मूल्यों में परिवर्तन की विधि है जिसमें लागत मूल्य या ह्रासित लागत मूल्य को चालू आर्थिक मूल्य में परिवर्तित किया जाता है।"

–आर. ए. फाउल्के

(3) "पुनर्स्थापन लेखांकन का सिद्धान्त यह है कि आय के निर्धारण के लिए आगमों की तुलना वास्तविक लागत से नहीं बल्कि बेचे गये स्कन्ध व व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया में सम्पत्ति में कमी के पुनर्स्थापन हेतु आशंसित लागत से की जाती है।"

–एच. चक्रवर्ती

निष्कर्ष–यह वह तकनीक है जिसके द्वारा सामान्य मूल्य स्तर के परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिये वित्तीय विवरण पुनर्वर्णित किये जाते हैं ताकि लेखांकन मदों पर मूल्य-स्तर में परिवर्तन के प्रभाव को दूर कर दिया जाये। इसके लिये विभिन्न मदों को आवश्यक समायोजन करके उन्हें उनके चालू मूल्य पर दिखलाया जाता है। ये परिवर्तन स्फीतिकारी (inflationary) हो सकते हैं अथवा अपस्फीतिकारी (deflationary)। किन्तु अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में स्फीतिकारी प्रवृत्ति ही पायी जाती है। अत: स्फीति लेखा-विधि ही मूल्य-स्तर लेखा-विधि का पर्याय बन गई है।

मुद्रा-स्फीति लेखांकन के गुण या लाभ (Merits of Inflation Accounting)

(1) आर्थिक चिट्ठे में स्थायी सम्पत्तियों व दायित्वों को उनके चालू मूल्य पर प्रदर्शित करने से व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति का सही एवं सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। इसी तरह स्थायी सम्पत्तियों के चालू मूल्य पर ह्रास की गणना व उपभुक्त स्कन्ध (Consumed Stock) को उसके चालू लागत पर चार्ज करने के कारण इसमें लाभ-हानि खाता वर्ष भर के संचालन के उचित व वास्तविक लाभ को प्रदर्शित करता है जो कि 'आर्थिक लाभ' के समान होता है। लेखा लाभ के आर्थिक लाभ के समान रहने पर ही व्यवसाय की पूँजी को अक्षुण्य बनाये रखा जा सकता है।

(2) यह प्रणाली विभिन्न तिथियों पर स्थापित दो संयन्त्रों की लाभप्रदता की सही तुलना में सहायक होती है क्योंकि इसमें यह तुलना दोनों संयन्त्रों के चालू मूल्यों के आधार पर की जायेगी।

(3) सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से व्यवसाय में विनियोग का सही मूल्य ज्ञात हो जाता है तथा इसके आधार पर 'प्रयुक्त पूँजी पर प्रत्याय' की गणना अधिक सही व शुद्ध होती है। व्यवसाय स्वामियों, लेनदार व प्रबन्ध सभी के लिए यही प्रत्याय ही अधिक उपयोगी होता है।

(4) मूल्य-स्तर में वृद्धि के समय मुद्रा-स्फीति लेखांकन के अन्तर्गत ज्ञात की गयी लाभ की मात्रा उस लाभ से कम होने की प्रवृत्ति रखती है जो कि ऐतिहासिक लागत पर ह्रास काटने से निकाला गया होता है। इस प्रकार इस विधि के प्रयोग से श्रम संघ, कर्मचारी, अंशधारी व सामान्य जनता व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में गुमराह नहीं होते। इससे उनके अपने-अपने दावों के निपटारे में अधिक परेशानी नहीं आती। साथ ही इससे आय कर का भार कम हो जाता है।

(5) बहुत पहले क्रय की गई सम्पत्तियों की मूल लागत के आधार पर ह्रास की गणना करना तथा व्यय और आगमों की अन्य मदों को चालू मूल्य पर दिखलाना लेखा-विधि की अनुरुपता की अवधारणा (Matching Concept) के विरुद्ध होगा।

(6) प्रतिस्थापन लागत के आधार पर ह्रास की गणना किये जाने से इस विधि के अन्तर्गत स्थायी सम्पत्तियों के प्रयोग-योग्य न रहने पर उनका सरलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

(7) इस विधि के अन्तर्गत प्रकाशित खातों में स्थायी सम्पत्तियों के चालू मूल्य दिखलाने से संस्था में 'स्वामियों की समता' (Owners Equity) का उचित मूल्य निर्धारित

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है। इससे व्यावसायिक निर्णयन मे शुद्धता लायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त चालू मूल्यो पर तैयार किये गये वित्तीय विवरणों के आधार पर ज्ञात किये गये अनुपात प्रबन्ध को अधिक विश्वसनीय और अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं।

(8) इस विधि के प्रयोग से संचालन को प्रभावित करने वाले वास्तविक कारकों का खातों मे समावेश हो जाता है। इससे व्यावसायिक लेखे प्रावैगिक रहते हैं और उनमें मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को समायोजित किया जा सकता है।

मुद्रा-स्फीति लेखांकन के दोष
(Demerits of Inflation Accounting)

(1) लेखापालकों का मत है कि ह्रास स्थायी सम्पत्तियों की लागत में स्वाभाविक कमी को दर्शाता है, अत: ह्रास प्रभार मूल लागत की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक होता है। इसलिए सम्पत्ति की मूल लागत पर ह्रास की गणना करना ही तर्कयुक्त है। यद्यपि आलोचकों का यह तर्क काफी वजनदार है किन्तु सम्पत्ति की प्रतिस्थापन की समस्या को भुला देना उचित प्रतीत नही होता।

(2) आलोचकों का तर्क है कि सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के समय उसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं संस्थापित की जाती है। वस्तुत: तकनीकी विकास, उत्पादन में परिवर्तन, संस्था के आकार में परिवर्तन, आदि के कारण बहुधा भिन्न संयन्त्रों या अन्य सम्पत्तियों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति मे सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह तर्क कुछ सीमा तक सही है किन्तु पुनर्मूल्यांकन का उद्देश्य तो संस्था की पूँजी को अक्षुण्ण बनाये रखना होता है। पूँजी को अक्षुण्ण बनाये रखने का आशय व्यवसाय की समस्त सम्पत्ति की कुल क्रय-शक्ति से होता है न कि किसी एक सम्पत्ति की क्रय-शक्ति से। अत: किसी एक सम्पत्ति की क्रय-शक्ति मे परिवर्तन आ जाने का समस्त सम्पत्तियों की कुल क्रय-शक्ति पर प्रभाव बहुत ही नगण्य हो जाता है।

(3) सम्पत्ति की प्रतिस्थापन लागत का अर्थ बहुत ही अस्पष्ट है तथा इसका सही अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। लेखापालकों में तो इस बात पर भी मतभेद है कि चालू वर्ष को आधार माना जाय अथवा प्रतिस्थापन के वर्ष को। दूसरे विकल्प मे अनिश्चितता की मात्रा बढ़ जाती है तथा पहले विकल्प में आयोजित ह्रास की राशि सम्पत्ति के प्रतिस्थापन की वास्तविक लागत से कम या अधिक हो सकती है।

(4) मुद्रा-स्फीति लेखांकन के आधार पर तय किया गया लाभ, ह्रास, प्रभार व सम्पत्तियों का मूल्य आय कर अधिकारियों को स्वीकार्य नहीं होता। अत: यह गणना व्यर्थ है। किन्तु यह तर्क ठीक नहीं क्योंकि खातों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य प्रबन्ध को व्यवसाय की स्थिति व लाभप्रदता के सम्बन्ध में सही जानकारी देना होता है। आय कर के लिए आय का निर्धारण तो एक सहायक उद्देश्य ही होता है।

(5) मुद्रा-स्फीति लेखांकन के प्रयोग से मूल्य वृद्धि के समय में संस्था के लाभ की मात्रा कम हो जाती है, कम आय कर दिया जाता है तथा इससे मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति और भी तेज हो जाती है। यद्यपि आलोचकों का यह तर्क सही है किन्तु न्यायोचित यही होगा कि संस्था वास्तविक रूप से कमाये गये लाभों पर ही कर दे। ऐतिहासिक लागत पर आकलित लाभ पर कर देने का अर्थ होगा कि संस्था पूँजीगत सम्पत्तियों पर भी आय कर देने को बाध्य हो रही है। वस्तुत: पूँजीगत आय पर 'पूँजी कर' लगाना चाहिए न कि 'आय कर'।

Scanned with CamScanner

(6) मुद्रा-स्फीति लेखांकन अधिक खर्चीली व श्रम साध्य है। इसके प्रयोग से लेखा में अत्यधिक जटिलताएँ आ जाती हैं। अतः यह विधि वांछनीय नहीं। यह तर्क सही है किन्तु लेखांकन विधि में मशीनों के प्रयोग से यह कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है।

(7) कुछ लोगों का विचार है कि इसके अन्तर्गत पूरक विवरणों के तैयार करने से जनता में भ्रम फैलेगा और सामान्य स्वीकृत सिद्धान्तों से तैयार किये गये लेखों के प्रति जनता का विश्वास उठ जायेगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस विधि के प्रयोग में अनेक समस्याएँ व कठिनाइयाँ हैं किन्तु प्रबन्ध लेखापालक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मूल्य-स्तर में परिवर्तनों का लाभ व विनियोजित पूँजी पर पड़ने वाले प्रभावों को खाते में अवश्य दर्शाये अन्यथा संस्था की क्रियाओं में हित रखने वाले विभिन्न पक्ष उसकी स्थिति व लाभप्रदता के सम्बन्ध में भ्रामक निष्कर्ष निकालेंगे।

Scanned with CamScanner